राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

–: प्रेस–नोट :– **दिनांक :– 21.05.2020**

आयोग द्वारा दिनांक 06.01.2020 से दिनांक 08.01.2020 तक आयोजित प्राध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा – 2018 के **"ग्रुप – बी"** जिसमें **जी.के. (दिनांक 06.01.2020)** एवं इसके साथ के ऐच्छिक विषय यथा **राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, संगीत, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन व भौतिक विज्ञान** की उत्तरकुंजियाँ आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 20.03.2020 को जारी कर उक्त विषयों पर ऑनलाईन आपत्तियाँ निर्धारित शुल्क के साथ पूर्व में **दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 26.03.2020 को रात्रि 12:00 बजे** तक आंमत्रित की गई थी।

Covid 19 वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थियों की सुविधार्थ पुनः एक अवसर प्रदान किया जा रहा है।

आपत्तियाँ आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध **मॉडल प्रश्न पत्र** के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक (Standard, Authentic) पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाईन ही प्रविष्ठ करें । वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करवाते है तो उन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क रु 100/– (सेवा शुल्क अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक (Question Objection) पर Click कर प्रश्नों पर आपत्तियाँ दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क रू 100/– (सेवा शुल्क अतिरिक्त) के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई–मित्र कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं के माध्यम से भी पोर्टल पर उपलब्ध पेंमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियों को स्थाई रूप से दर्ज कर सकता है। आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जावेंगी। आपत्तियाँ केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। **ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक दिनांक 26.05.2020 से दिनांक 28.05.2020 को रात्रि 12.00 बजे** तक ही उपलब्ध है, उसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाऐंगी।

जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में जिन प्रश्नों पर ऑनलाईन आपत्ति दर्ज करवा दी है, उन्हें पुनः आपत्ति दर्ज करवाने की आवश्यकता नहीं है।

(सत्यनारायण शर्मा)
उप सचिव